56/18 देवाराम V/S कृपा वगैरा

20.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड सिणधरी में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई है। जो विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल होने के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जात है। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

20/6/18

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत/कोर्ट केम्प–अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत [redacted]) सिणधरी
पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.56/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
		1.रूपा पुत्र दाना
देवाराम पुत्र गुलाराम		2.जीया पुत्र माला
जाति जाट		3.किशना पुत्र मोती
निवासी लूणा कलां (पांयला खुर्द)		4.धीरा
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		5.देवा
		6.अचला पिसरान हिन्दु
		7.खेता पुत्र रतना जाति जाट निवासी लूणा कलां तहसील सिणधरी
		8.प्रतापा
		9.गुणा पिसरान चिमना
		10.मुकना पुत्र विरा जाति मेगवाल निवासी लूणा कलां तहसील सिणधरी
		11.आईदान
		12.नारणा
		13.प्रतापा पिसरान खेमा
		14.रेखा पुत्र आम्बा जाति जाट निवासी लूणा कलां तहसील सिणधरी
		15.नारणा
		16.धमण्ड़ा पिसरान पीरा
		17.श्रीमति दमी पत्नि पीरा जाति जाट निवासी लूणा कलां तहसील सिणधरी
		18.तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री रामजीवन विशनोई,अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकरतफा।

आदेश

दिनांक–20.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम लूणाकलां पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 118,125,133,138 कुल रकबा 68–10 बीधा भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम लूणाकलां पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 118,125,133,138 कुल रकबा 68–10 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीली श्रेणी में प्राप्त हुए। लेकिन विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लूणाकलां पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 118,125,133,138 कुल रकबा 68–10 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम लूणाकलां पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 118,125,133,138 कुल रकबा 68–10 बीधा बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थी की बहस पर मनंन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सीमाज्ञान रिर्पोर्ट एवं सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो व विधि के परिप्रेक्ष्य मे विंवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम लूणाकलां पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 118,125,133,138 कुल रकबा 68—10 बीधा भूमि का प्रार्थी रिकार्डड खातेदार है। जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 से प्रमाणित होता है। एवं सीमाज्ञान रिर्पोर्ट में भी सेढे को लेकर पक्षकारान में विवाद है। इस कारण प्रार्थी काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्राथीगण बावजूद नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नहीं होगीं। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम लूणाकलां पटवार क्षेत्र पांयला खुर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 118,125,133,138 कुल रकबा 68—10 बीधा भूमि के सबंध चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर सम्मा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20/6/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner